

DRAFT

बाल अधिकार तथा संरक्षण कानूनों से एक परिचय

मॉड्यूल
1



विषय-सूची

संक्षिप्ताक्षर	2
बाल अधिकार तथा संरक्षण कानूनों से एक परिचय	3
सत्र 1: बाल अधिकार की अवधारणा और अलग से बाल अधिकारों की आवश्यकता	4
भाग 1.1: बाल अधिकार: सिद्धान्त और कार्य पद्धति में बदलाव	9
सत्र 2: बाल संरक्षण	11
सत्र 3: बाल संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा	15
सत्र 4: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बाल संरक्षण सेवाएं योजना (अब – समेकित बाल संरक्षण योजना)	30
संलग्नक 1: बाल अधिकारों को समझने के लिए चित्र कार्ड	34
संलग्नक 2: गुब्बारों वाली गतिविधि	36
संलग्नक 3: वैयक्तिक देखरेख योजना	39
संलग्नक 4: वर्ष 2017–18 में समेकित बाल संरक्षण योजना के लाभार्थी	45

संक्षिप्ताक्षर

सी.ए.आर.ए.	दत्तक—ग्रहण संसाधन एजेंसी
सी.सी.आई.एस.	बाल देखरेख संस्थान
सी.सी.एल.	कानून उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.आई.एफ.	चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन
सी.जे.एम.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सी.एम.एम.	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
सी.एन.सी.पी.	कानून का उल्लंघन करने वाले बालक
सी.पी.एस.	बाल संरक्षण सेवाएं
सी.पी.एस.यू.	केन्द्रीय परियोजना सहायता इकाई
सी.एस.ओ.एस.	नागरिक सामाजिक संगठन
सी.डब्ल्यू.सी.	बाल कल्याण समिति
डी.सी.पी.सी.	जिला बाल संरक्षण समिति
डी.सी.पी.यू.	जिला बाल संरक्षण इकाई
डी.एम.	जिला मजिस्ट्रेट
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जे.जे.ए.	किशोर न्याय अधिनियम
जे.जे.बी.	किशोर न्याय बोर्ड
एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना तंत्र
एम.डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एन.सी.पी.सी.आर.	राष्ट्रीय बालाधिकार संरक्षण आयोग
एन.आई.पी.सी.सी.डी.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवेलपमेंट
पी.ओ.सी.एस.ओ.	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
एस.ए.ए.	विशेष दत्तक—ग्रहण एजेंसी
एस.ए.ए.सी.	राज्य दत्तक—ग्रहण सलाहकार समिति
एस.ए.आर.ए.	राज्य दत्तक—ग्रहण संसाधन एजेंसी
एस.सी.पी.सी.	राज्य बाल संरक्षण समिति
एस.आई.आर.	सामाजिक जांच रिपोर्ट
एस.जे.पी.यू.	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एस.ओ.पी.एस.	मानक संचालन कार्य पद्धति
एस.पी.एस.यू.	राज्य परियोजना सहायता इकाई
यू.एन.सी.आर.सी.	बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन



बाल अधिकार तथा संरक्षण कानूनों से एक परिचय.....

मॉड्यूल का परिचय

यह मॉड्यूल बाल अधिकारों तथा बाल संरक्षण की अवधारणा और उससे जुड़े मुद्दों से हमारा परिचय कराता है। भारत में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो कानूनी प्रावधान तथा संरक्षण ढांचा है उस पर यह मॉड्यूल प्रकाश डालता है।



इस मॉड्यूल में यह स्पष्ट किया गया है कि 'बच्चा' कौन है, बाल अधिकार क्या हैं और बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए यह समझें कि 'बच्चा' कौन है।

बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्रों के सम्मेलन (UNCRC) के आर्टिकल 1 में, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को 'बच्चा' परिभाषित किया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 सेक्शन 2 (12) में यह निर्धारित किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति 'बच्चा' है।



मॉड्यूल के उद्देश्य

मॉड्यूल के अंत तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि:

- ◆ बाल अधिकार क्या है और क्यों बच्चों को अलग अधिकारों की आवश्यकता है।
- ◆ बाल संरक्षण का क्या अर्थ है और किन बच्चों को संरक्षण की जरूरत है।
- ◆ बच्चों के संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है।
- ◆ ऐसी जरूरतें और हक जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता और सभी बच्चों की पूरी होनी चाहिए।
- ◆ भारत में बच्चों के संरक्षण के लिए कानूनी तरीके और तंत्र क्या हैं।
- ◆ बाल संरक्षण योजना की प्रदायगी का तरीका क्या है?

बाल अधिकार की अवधारणा और अलग से बाल अधिकारों की आवश्यकता



समय
60 मिनट



चरण 1



उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि:

- ♦ बाल अधिकार क्या है?
- ♦ बाल अधिकार की पहुंच (Approach) क्या है
- ♦ क्यों बच्चों के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता है?



प्रक्रिया

चरण क: प्रतिभागियों से कहें कि 'बच्चा' शब्द का अर्थ जान लेने के बाद हमें 'अधिकार' शब्द का अर्थ भी जान लेना जरूरी है। पूछें कि 'अधिकार' से आप क्या समझते हैं?

प्रतिभागियों की बातें ध्यान से सुनें और नीचे लिखे बिन्दुओं के आधार पर चर्चा करें:

- ♦ अधिकार एक दायित्व है जिसका सम्मान करना, सुरक्षा देना या पूरा करने का दायित्व दूसरों के ऊपर होता है।
- ♦ हम जो हक मांगते हैं वही हक मांगने का अधिकार दूसरों का भी है और सभी का एक-दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होता है।
- ♦ किसी अधिकार का सम्मान करने का मतलब है ऐसा कुछ भी न करना जिससे किसी के मानव अधिकारों का हनन हो, बाधा पहुंचे या कटौती हो।

चरण ख: प्रतिभागियों से पूछें कि वे 'बाल अधिकार' से क्या समझते हैं? उनके उत्तर ध्यान से सुनें तथा नीचे दी गई गतिविधि में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें:



फैसिलिटेटर के लिए नोट: गतिविधि में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। समय की उपलब्धता के आधार पर फैसिलिटेटर को यह निर्णय लेना होगा कि इस गतिविधि को करें या न करें। अगर आवश्यक हो तो फैसिलिटेटर प्रतिभागियों से पूछ सकते हैं कि बच्चों को जीवित रहने, बढ़ने या वृद्धि करने तथा विकास करने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार पर सम्मेलन (UNCRC) के आधार पर इन्हें बाल अधिकार के चार स्तंभों में श्रेणीबद्ध कर दें। अगर इन चार स्तंभों से जुड़ी बातें स्पष्ट रूप से प्रतिभागियों की तरफ से नहीं आती हैं तो उसके बारे में फैसिलिटेटर चर्चा करें।



चरण 2: गतिविधि: इच्छा, आवश्यकता और अधिकार के माध्यम से बाल अधिकार को समझना



लक्ष्य:

प्रतिभागियों को इच्छा, आवश्यकता और अधिकार के अंतर को समझने में मदद करना।



आवश्यक सामग्री:

इच्छा और आवश्यकता के 4–6 कार्ड सेट्स (संलग्नक 1 देखें), मार्कर पेन।



विधि:

सभी प्रतिभागियों को चार समूहों में बांट दें और उनसे कहें कि वे मान लें कि वे फिर से बच्चे हो गए हैं। भूमिका में आने के लिए उन्हें आधे मिनट का समय दें।

विभिन्न इच्छा और आवश्यकता वाले कार्डों का एक-एक सेट सभी समूहों को दें। इन सेटों में 20 इच्छा और आवश्यकता शामिल हैं, इसके अतिरिक्त 4 खाली खाने हैं। प्रतिभागियों से कहें कि एक बच्चे के रूप में अपनी इच्छा और आवश्यकता जोड़ें। जब सभी समूह यह कार्य कर लें तो प्रतिभागियों से कहें कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है इसलिए उन्हें अपनी सूची में कमी लानी होगी और 24 की जगह केवल 16 इच्छा और आवश्यकताओं को रखना होगा। समूहों को इसके लिए 5 मिनट का समय दें क्योंकि वे आपस में चर्चा करके संख्या को घटाना चाहेंगे। उन्हें एक पेपरशीट पर लिखने के लिए कहें। उन्हें यह भी बताएं कि जिन 16 इच्छाओं आवश्यकताओं की सूची वे बना रहे हैं उसमें समूह के सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए।

अब पुनः प्रतिभागियों को बताएं कि देश में गृह युद्ध की स्थिति है इसलिए अब उन्हें अपनी सूची 16 से घटाकर 12 पर लानी होगी ताकि सरकार खर्चों में कटौती कर सके। इस कार्य के लिए उन्हें 3 मिनट का और समय दें।

एक बार फिर प्रतिभागियों से कहें कि उन्हें फिर से अपनी सूची छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि देश आर्थिक संकट, गृह युद्ध के साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है और देश की आपातकालीन स्थिति हो गई है इसलिए उन्हें अपनी सूची को 12 से घटाकर 8 पर लानी होगी।

समूहों से कहें कि बड़े समूह में वे यह बताएं कि सूची को छोटा करने में अपने समूह में उन्होंने सबकी सहमति कैसे बनाई। समूहों को अपनी सूची दिखाने के लिए कहें और समूहों की सूची में समान आवश्यकताओं पर बल दें।

स्पष्टीकरण: प्रतिभागियों को यह समझने में मदद करें कि पहली बार उन्होंने जो इच्छाओं/आवश्यकताओं को हटाया वे सबसे कम महत्वपूर्ण थीं, दूसरी बार उन्होंने ऐसी इच्छाओं/आवश्यकताओं को हटाया होगा जिनमें कुछ महत्वपूर्ण होंगी, किन्तु देश के सभी बच्चों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होंगी। अंत में जो उनकी सूची में बच गई वह सबसे जरूरी इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं, जो सभी बच्चों के लिए लगभग बराबर महत्व की हैं तथा उन्हें आपातकालीन स्थिति में भी नहीं हटाया जा सकता।

निम्नानुसार सारांश प्रस्तुत करें:

अलग-अलग लोगों की अलग-अलग इच्छाएं तथा आवश्यकताएं हो सकती हैं किंतु अधिकार वह आवश्यकताएं हैं जो सबके लिए समान रूप से जरूरी हैं।

सभी बच्चों के अधिकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि वे किस राज्य/क्षेत्र से हैं, कितनी उम्र के हैं, लड़की है या लड़का है, विकलांग है या नहीं—सबके समान अधिकार हैं।

सभी इच्छाएं आवश्यकता नहीं हैं किंतु कुछ निश्चय ही हैं जैसे जीवन के लिए आवश्यक चीजें उदाहरण के लिए—भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, आवास आदि।

जो चीजें इच्छाएं हैं किंतु आवश्यकता नहीं है वह हैं जिनकी इच्छा तो है किंतु जीवन के लिए जरूरी नहीं है जैसे—खिलौने, फास्ट फूड या गैजेट्स।

बाल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का यह दायित्व है कि सभी बच्चों को उनका अधिकार प्राप्त हो।

अधिकार कानूनी हक है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं।

जब परिवार अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते, तब सरकार को बच्चों के मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आगे आना पड़ता है।

किसी भी स्थिति में अधिकारों में समझौता नहीं किया जा सकता। अधिकारों की मुख्य बात यह है कि उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। एक अधिकार दूसरे को हटाकर लागू नहीं किया जा सकता और हर अधिकार एक समान महत्वपूर्ण है। कोई यह नहीं कह सकता कि अगर बच्चे को जीवित रहने का अधिकार है तो संरक्षण के अधिकार की जरूरत नहीं है।



चरण 3

चरण ग: अब प्रतिभागियों से पूछें कि 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण इच्छाएं और आवश्यकताएं (संभवतः अधिकारों) जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, को क्या चार समूहों में विभाजित किया जा सकता है जैसे—आहार, स्वास्थ्य देखरेख और आवास, जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, इसी तरह खेल का मैदान और शिक्षा, विकास के लिए जरूरी है। प्रतिभागियों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अधिकारों को सूचीबद्ध करने में मदद करें:

जीवित

विकास

संरक्षण

भागीदारी

इस तरह के श्रेणीकरण से यह पता चलेगा कि कभी-कभी किसी अधिकार को एक श्रेणी में रखना मुश्किल होगा, क्योंकि वह अधिकार एक से अधिक श्रेणियों को पूरा करने में मददगार है, उदाहरण के लिए एक अच्छे आवास को जीवित रहने तथा संरक्षण देने दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है क्योंकि आवास विहीन बच्चों के साथ शोषण और दुर्व्यवहार अधिक होता है, आवासीय सुविधा न होने से बच्चों को बीमार होने का ही जोखिम नहीं होता बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार तथा शोषण होने का जोखिम भी अधिक होता है।

बाल अधिकार की परिभाषा

- UNCRIC के अनुसार: 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले हक तथा स्वतंत्रता जो बिना किसी प्रजाति, राष्ट्रीयता, रंग, लिंग, भाषा, विचार, मूल उत्पत्ति, धन, जन्म स्थिति या सामर्थ्य का भेदभाव किए सभी जगह सभी व्यक्तियों पर लागू हो।
- इन अधिकारों में, बच्चों की स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकार, पारिवारिक वातावरण, आवश्यक स्वास्थ्य देखरेख तथा कल्याणकारी सेवाएं, शिक्षा, अवकाश एवं सांस्कृतिक गतिविधियां व विशेष संरक्षणात्मक कदम शामिल हैं।

सभी बच्चों को ये अधिकार प्राप्त हैं और यह सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा एक दूसरे से संबंधित हैं।

बाल अधिकार के प्रकार

UNCRIC बच्चों के अधिकारों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करता है जिसके अंतर्गत बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार आच्छादित होते हैं:

- **जीवन/जीवितता का अधिकार:** इसके अंतर्गत वो मूल आवश्यकताएं हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं जैसे – पोषण, आवास, पर्याप्त जीवन स्तर और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता।



- **विकास करने का अधिकार:** प्रत्येक बच्चे को विकसित होने का अधिकार है जिससे वे अपना पूर्ण सामर्थ्य या क्षमता प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत, शिक्षा का अधिकार, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां, सूचना प्राप्त करना, विचारों की चेतना और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है।

- **संरक्षण का अधिकार:** बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाने या दुर्व्यवहार से संरक्षण दिए जाने का अधिकार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे हर प्रकार के शोषण से सुरक्षित रहें। इसमें रिपयूजी बच्चों की विशेष देखरेख, अपराधिक न्याय तंत्र में बच्चों की सुरक्षा, रोजगार में बच्चों की सुरक्षा और ऐसे बच्चों का संरक्षण एवं पुनर्वास जिन्होंने किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण सहा है, शामिल है।



- **भागीदारी का अधिकार:** इसके अंतर्गत बच्चों को अपने विचार करने तथा उनके जीवन पर असर डालने वाले मामले में अपनी बात कहने और उम्र तथा परिपक्वता के अनुसार संगठनों से जुड़ने तथा शांतिपूर्वक एक जगह एकत्रित होने की स्वतंत्रता शामिल है। इसका तात्पर्य यह है कि जिम्मेदारीपूर्ण वयस्क जीवन की तैयारी के लिए सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी निभाएं।

प्रतिभागियों से पूछें कि बच्चों के अधिकार अलग क्यों होने चाहिए? उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें और नीचे दिए गए बिन्दुओं के आधार पर सारांश प्रस्तुत करें:



चरण 4: बच्चों के अधिकार क्यों अलग होने चाहिए

बच्चों को एक संस्था (AGENCY) के रूप में अलग अधिकारों की जरूरत है जो वयस्क के अधिकारों से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि:

- ♦ **बच्चे नाजुक और कमजोर हैं:** शारीरिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाज के सबसे कमजोर अंग हैं।
- ♦ **लिंग और जातिगत भेदभाव:** जब लड़कियों को उपयुक्त आहार, उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती, शीघ्र विवाह कर दिया जाता है और समान श्रेणी के लड़कों की तुलना में अनेक सामाजिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है तो यह कमजोरी और निरीहता और बढ़ जाती है।
- ♦ **बच्चे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते:** बच्चे वोट नहीं दे सकते इसलिए कानूनविद् और नीति बनाने वालों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते इसलिए वयस्कों के लिए यह और ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि उनकी आवाज़ पहुंचाएं।
- ♦ **बच्चों के साथ विभिन्न समाजों में अक्सर दुर्व्यवहार होता है** और इसके अंतर्गत शामिल हैं: घर पर तथा स्कूल में मार खाना, तस्करी, अपहरण, मादक पदार्थों के वाहक, बलपूर्वक देह व्यापार, भीख मंगवाना और लैंगिक शोषण का अधिक शिकार होना।
- ♦ **बच्चों को पूर्ण मनुष्य का दर्जा नहीं दिया जाता:** लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा शिक्षा का कम अवसर, कम पोषण युक्त आहार, कम स्वास्थ्य सेवाएं देकर अक्सर भेदभाव किया जाता है। उनके ऊपर नैतिक सामाजिक वर्जनाएं तथा पाबंदियां अधिक लगाई जाती हैं जिसके कारण उनके अधिकारों के हनन होने की संभावना बढ़ जाती है।
- ♦ **बच्चों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है:** क्योंकि वे नाजुक तथा कमजोर होते हैं उन्हें बाल श्रम में लगाया जा सकता है, उनकी जल्दी शादी हो सकती है, उनका यौन शोषण हो सकता है, उन्हें पारिवारिक देखरेख से वंचित रखा जा सकता है, विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के शिकार हो सकते हैं, हर स्थिति में बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।
- ♦ **बच्चों को भागीदारी करने का मौका नहीं दिया जाता:** बच्चों से जुड़े मामलों में उनकी राय गंभीरता से शायद ही कभी सुनी जाती है और उन पर विचार किया जाता है।



फैसिलिटेटर के लिए नोट:

अगर समय अनुमति दे तो सत्र के अंत में दी गई गतिविधि करवाएं, अन्यथा नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी रखें। संलग्नक 2 में गुब्बारों वाली गतिविधि (20 मिनट) देखें।

बाल अधिकार: सिद्धांत और कार्य पद्धति में बदलाव



उद्देश्य

सत्र के अंत तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि:

- ◆ संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) में क्या मान्यता दी गई।
- ◆ बाल अधिकार के सिद्धांत क्या हैं।
- ◆ संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन किसे कहेंगे।
- ◆ आवश्यकता पर आधारित कार्य पद्धति से अधिकार पर आधारित कार्य पद्धति में क्या अंतर है।

UNCRC में बच्चों के मानव अधिकारों को मान्यता दी गई और 18 वर्ष तक के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया। सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि किसी तरीके के भेदभाव के बिना राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को:

- ◆ विशेष संरक्षण प्रयासों तथा सहायता से लाभ मिलना चाहिए।
- ◆ शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख जैसी सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- ◆ अपना व्यक्तित्व, क्षमता तथा हुनर का विकास पूर्ण रूप से करने का अवसर मिलना चाहिए।
- ◆ प्यार, खुशहाली और समझ के वातावरण में बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
- ◆ प्राप्त करने योग्य स्थिति में उनके अधिकारों की जानकारी मिले और वे उसमें भागीदार हों।



चरण 1: प्रतिभागियों से चर्चा करें कि बाल अधिकार के क्या संभावित सिद्धांत हैं। उन्हें चर्चा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करें और नीचे लिखे बिन्दुओं के आधार पर चर्चा करें:

बाल अधिकारों तथा मानव अधिकारों के UNCRC के सिद्धांत

समझौता न किए जाने वाले (Non Negotiable) हक (Entitlements)

समानता और भेदभाव न होना

जीवितता और विकास

अभाज्यता (जिसे विभाजित न किया जा सके)

भागीदारी और बच्चे के सर्वोत्तम हित







चरण 2: प्रतिभागियों से चर्चा करें कि बाल अधिकार की कार्य पद्धति (Approach) आवश्यकता आधारित से हटकर अधिकार आधारित हो गई है। नीचे दी गई तालिका, प्रतिभागियों को दिखाएं:

आवश्यकता आधारित से बदलकर	अधिकार आधारित कार्य पद्धति
<ul style="list-style-type: none">◆ कल्याण◆ कुछ छूट सकते हैं◆ संस्थागत और आवासीय देखरेख◆ संस्थानों में अभिरक्षक◆ लाभार्थी और प्राप्तकर्ता◆ स्पष्ट दायित्व◆ सक्रिय भागीदारी◆ विशिष्ट तात्कालिक स्थिति पर केन्द्रित◆ कुछ समूहों को बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की विशेषज्ञता है	<ul style="list-style-type: none">◆ विकास और सशक्तिकरण◆ सबके समान अधिकार हैं◆ गैर-संस्थागत और परिवार आधारित◆ गुणवत्तापूर्ण बाल देखरेख संस्थान द्वारा समग्र विकास◆ समावेशन और एकीकरण◆ प्रतिभागी और साझेदार (उसका/उसकी स्वयं का विकास और निर्णय)◆ किसी का दायित्व निश्चित नहीं है◆ मूल कारण का विश्लेषण◆ बच्चों के अधिकारों की उपलब्धि में सभी वयस्क भूमिका निभा सकते हैं

चरण 2 भाग क: प्रतिभागियों से पूछें कि किस तरह बाल अधिकारों का हनन होता है? उत्तरों को सुनें और प्रतिभागियों को समूहों में बांट दें तथा उन्हें चर्चा करके चार्ट तैयार करना है व प्रस्तुत करना है। उनके चर्चा का विषय है "इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या तरीके/तंत्र विद्यमान हैं।"

संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन

-  बच्चों के साथ लैंगिक व्यवहार
-  बाल श्रम, बंधुआ, सड़क पर जीवनयापन
-  अनाथ, परित्यक्त
-  बाल विवाह— अभाव का चक्र
-  शारीरिक दण्ड, हिंसा
-  तस्करी, बच्चों से भीख मंगवाना
-  बच्चे/परिवार एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित, आपदा



बाल संरक्षण



उद्देश्य:

सत्र के अन्त तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि:

- ♦ बाल संरक्षण क्या है।
- ♦ वह कौन से बच्चे हैं जो संरक्षण के जरूरतमंद हैं।



चरण 1: प्रतिभागियों से पूछें कि बाल संरक्षण से वे क्या समझते हैं? उनके उत्तरों को ध्यान से सुनें और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर चर्चा करें:

यूनिसेफ, 'बाल संरक्षण' शब्द का इस्तेमाल इस आशय से करता है कि बच्चों के साथ हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार जिसमें आर्थिक यौन शोषण, तस्करी, बाल श्रम और हानिकारक परम्पराएं जैसे महिला जननांग विकृति और बाल-विवाह शामिल हैं, की रोकथाम और समाधान किया जाए।

यूनिसेफ का बाल संरक्षण कार्यक्रम ऐसे बच्चों को लक्षित करता है जो विशेष स्थिति में रहते हैं जैसे बिना मां बाप के बच्चे, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा युद्ध से प्रभावित बच्चे और इन बच्चों के साथ शोषण तथा दुर्व्यवहार होने की संभावना अधिक होती है।

बच्चों के संरक्षण के अधिकारों का उल्लंघन हर देश में होता है और बहुत अधिक होता है। इन्हें कम ही लोग जान पाते हैं तथा इनकी रिपोर्ट भी कम ही होती है। किन्तु ये बच्चों की जीवितता तथा विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है, इसके अतिरिक्त मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। जो बच्चे हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा का शिकार होते हैं उन्हें मृत्यु, दयनीय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एच.आई.वी./एड्स का संक्रमण, शैक्षिक समस्याएं, विस्थापन, गृह विहीनता, आवारगी और भावी जीवन में खराब मातृत्व-पितृत्व का जोखिम अधिक होता है।

चर्चा करें कि परिभाषा एक बाल संरक्षण के समग्र आयामों को आच्छादित करती है और इसके चार महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। फिलप चार्ट पर परिभाषा लिखें और चारों बिन्दुओं को रेखांकित करें या आप खुद ही परिभाषा पढ़ें तथा नीचे दिए गए चारों बिन्दुओं को अपनी उंगलियों पर गिनवाएं:

1. बच्चों के जोखिमों को जानना। जोखिमों को कम करने वाली कौन सी बातें अक्सर छूट जाती हैं।
2. बाल अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम तथा समाधान करके उसे वास्तविकता में बदलना।
3. आशावान रहना और सम्मानजनक जीवन जीना।
4. एक सहयोगात्मक वातावरण सृजित करना।



चरण 2: प्रतिभागियों से पूछें कि कौन से बच्चे संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे हैं?

उत्तरों को सुनें और छूटे हुए बिन्दुओं को जोड़ें। चर्चा में इस बात को भी स्पष्ट करें कि प्रतिभागियों के उत्तरों में से कुछ उत्तर अगर बाल संरक्षण की व्यापक श्रेणी में नहीं आते हैं तो उसका क्या कारण है।



फैसिलिटेटर के लिए नोट: अगर समय हो तो नीचे दी गई केस स्टडी को पढ़ें और प्रतिभागियों से पूछें कि केस स्टडी में आए बच्चों को क्या संरक्षण की जरूरत है?

समूह कार्य और चर्चा के लिए केस स्टडी

केस स्टडी 1: नारायण और नैना अपने नौ वर्ष के बच्चे राजेश, जो विकलांग है, के साथ एक गांव में रहते हैं। दम्पति इस बात से खुश रहते हैं कि उनका बच्चा बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है जिससे उसे चोट लगने का डर नहीं रहता है। पड़ोसी भी यह सोचते हैं कि राजेश को उनके बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वह उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। क्या राजेश को मदद की जरूरत है।

केस स्टडी 2: सुरेश और सपना दोनों एच.आई.वी. से ग्रसित हैं। उनकी एक बेटी है रोशनी। वह सात वर्ष की है और स्कूल जाती है। स्कूल में बच्चों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया है और शिक्षकों ने भी उसे पिछले बेंच पर बिठाना शुरू कर दिया है। क्या रोशनी को संरक्षण की जरूरत है?

केस स्टडी 3: नन्दलाल और सुनीता एक छोटे से गांव में रहते हैं जिसमें एक प्राइमरी स्कूल भी है। उनकी बेटी पूजा ने कक्षा 5 उत्तीर्ण कर ली है। किन्तु माध्यमिक विद्यालय दूसरे गांव में है जो उनके गांव से 3 कि.मी. दूर है। उसके माता-पिता उसे पढ़ने के लिए वहां नहीं भेजना चाहते और उसकी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं। पूजा का पिता उसे नज़दीक के एक शहर में भेजना चाहता है जहां उसके परिवार का एक सदस्य रहता है और उसने आश्वासन दिया है कि उसके काम करने के लिए वह एक अच्छा घर ढूंढ देगा, लेकिन पूजा की मां इसे सुरक्षित नहीं समझती क्योंकि पूजा को माहवारी आनी शुरू हो गई है। वह अपने पति से पूजा की शादी करने के बारे में विचार करने के लिए कहती है।




फैसिलिटेटर के लिए नोट: फैसिलिटेटर को प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे अधिनियम के प्रावधानों की संभावनाओं को देख सकें और यह समझ सकें कि किस तरह देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे परिभाषित किए गए हैं।

किशोर न्याय अधिनियम और समेकित बाल संरक्षण योजना निम्न दो श्रेणी के बच्चों को कमजोर और बेबस समझते हैं तथा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद मानते हैं (फैसिलिटेटर दिया हुआ लिंक इस्तेमाल करके कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों पर वीडियो दिखा सकते हैं): <http://haqcrc.org/our-work/training/>

- ◆ **कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा (CCL)** (सेक्शन 13): एक बच्चा जो कानून का उल्लंघन करने का आरोपी हो या जिसने अपराध किया हो और अपराध करने के समय जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।
- ◆ **देखरेख का जरूरतमंद बच्चा (CHCP)** (सेक्शन 14) एक बच्चा
 - क) घर विहीन या जीवन निर्वाह के प्रत्यक्ष साधन विहीन
 - ख) जो श्रम कानून के विरुद्ध कार्य करता पाया जाए, भीख मांगते हुए पाया जाए या सड़क पर गुजर-बसर कर रहा हो
 - ग) जो ऐसे व्यक्ति (अभिभावक या कोई अन्य) के साथ रह रहा हो जिसने उसे घायल कर दिया हो, शोषण, दुर्व्यवहार या अवहेलना की हो, जान से मारने की धमकी दी हो
 - घ) जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो
 - ङ) जिनके माता-पिता या अभिभावक अनुपयुक्त या अक्षम हों
 - च) जिनके माता-पिता या देखभाल करने वाला न हो
 - छ) जो गुम हो गया हो या घर से भागा हुआ हो
 - ज) जिनके साथ यौन दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण हुआ हो, हो रहा हो या होने की संभावना हो।
 - झ) जो बेसहारा तथा कमजोर हो और जिसके ड्रग्स का दुरुपयोग या तस्करी का शिकार होने की संभावना हो।
 - ञ) अनुचित फायदे के लिए दुर्व्यवहार हो रहा हो या होने की संभावना हो
 - ट) जो सशस्त्र युद्ध, गृह युद्ध या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो
 - ठ) विवाह की कानूनी उम्र पूरी होने से पहले ही जिसके विवाह होने का जोखिम हो



देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे (CHCP)



**उद्देश्य:**

सत्र के अंत तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि भारत के संविधान में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को दिशा देने वाले सिद्धान्त तथा मौलिक अधिकार क्या हैं।

भाग 3.1: अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) 2 सितम्बर 1990 से प्रभाव में आया जो एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय बच्चों के लिए अधिकारों का कानून है। इसके अन्दर सभी नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों का विवरण 54 आर्टिकल्स में किया गया है।
- भारत ने UNCRC का, 11 दिसम्बर 1992 में समर्थन किया। सभी, आर्टिकलों से सहमत होते हुए, इन आर्टिकलों में वर्णित बाल श्रम से जुड़ी कुछ बातों को छोड़कर सभी बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने की कटिबद्धता व्यक्त की।



चरण 1: भारत के संविधान के अनुसार बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न मौलिक अधिकारों तथा निर्देशात्मक सिद्धान्तों की चर्चा प्रतिभागियों से करें।

भारत के संविधान में बच्चों की सुरक्षा की आधारशिला मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धान्तों में रखी गई है। यह राज्यों को आदेशित करता है कि वे इन अधिकारों का संरक्षण करें।

बच्चों से संबंधित मौलिक अधिकार


- आर्टिकल 15 (3): राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने चाहिए।
- आर्टिकल 21 ए: 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
- आर्टिकल 23: बच्चों सहित मानव तस्करी का निषेध।
- आर्टिकल 24: 14 वर्ष के कम उम्र का कोई बच्चा जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता।

बच्चों से संबंधित निर्देशात्मक सिद्धान्त

- आर्टिकल 39 (ई) और (एफ): राज्यों की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो कम आयु के बच्चों को सुरक्षा दें।
- आर्टिकल 45: सभी छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा देने का प्रावधान।
- आर्टिकल 51 ए कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के माता-पिता/अभिभावक की यह भौतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

अन्य राष्ट्रीय नीतियां

बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर, 2003 9 फरवरी 2004 को लागू किया गया। इसमें सभी बच्चों के बच्चा होने के स्वाभाविक अधिकार को सुरक्षित रखने की मंशा पर जोर दिया गया है और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन बिताने, बच्चों के विकास में बाधा बनने वाले मूल कारणों का समाधान करने तथा समाज के व्यापक सन्दर्भ में बच्चों को हर तरह के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए समुदाय की चेतना जगाने व परिवार, समाज एवं देश को सशक्त बनाने की बात की गई है।



बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2013 26 अप्रैल 2013 को भारत सरकार द्वारा लागू की गई। बच्चों की स्थिति में उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अधिकार आधारित कार्य पद्धति को इसमें अपनाया गया है। यह संवैधानिक आदेशों तथा UNCRC के निर्देशात्मक सिद्धान्तों का अनुपालन करता है और बच्चों के अधिकारों को चार मुख्य प्राथमिकता के क्षेत्रों में, जिनके नाम हैं— जीवितता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास तथा संरक्षण एवं भागीदारी, में चिन्हित करता है।



बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो नीतिगत उद्देश्यों को की जाने योग्य रणनीतियों से चार मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों—जीवितता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास तथा संरक्षण और भागीदारी से जोड़ती है। इसका लक्ष्य सभी हितधारकों में प्रभावी समन्वय तथा अभिसरण स्थापित करना है जिसमें भारत सरकार के मंत्रालय तथा विभागों के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हैं ताकि बच्चों के अधिकारों से जुड़े मुख्य मुद्दों का समाधान निकाला जा सके।

भाग 3.2: भारत में बाल संरक्षण कानून



उद्देश्य:

सत्र के अंत तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि:

- ◆ किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 क्या है।
- ◆ अन्य बाल संरक्षण कानून और उनकी विशेषताएं।



चरण 1:

प्रतिभागियों से पूछें कि वे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के बारे में क्या जानते हैं? चर्चा करें कि यह कब लागू हुआ और इसमें कब संशोधन हुए। सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को सही उत्तर देने के लिए सराहें और छूटे हुए बिन्दुओं को जोड़ दें।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

परिचय

एक दशक से भी अधिक किशोर न्याय अधिनियम 2000 लागू था। यद्यपि 2006 और 2011 में इसमें संशोधन हुए तब भी अनेक मुद्दे ऐसे उठ खड़े हुए जिससे इसका क्रियान्वयन बाधित हुआ। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) बिल 2015 को संसद ने 22 दिसम्बर 2015 को पारित किया। 15 जनवरी 2016 से अधिनियम प्रभावी रूप से लागू हुआ।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उद्देश्य

- ♦ संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मेलन, बीजिंग रूल्स तथा अन्य संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधानों के उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- ♦ कानून का उल्लंघन करने वाले तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को उपयुक्त देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक एकीकरण प्रदान करना।
- ♦ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को सुरक्षा देने के लिए कानूनी कार्य पद्धति को स्पष्ट करना।
- ♦ लागू अधिनियम की चुनौतियों का समाधान करना।

किशोर न्याय अधिनियम की मुख्य बातें

- ♦ अध्यायों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई।
- ♦ बच्चों की देखरेख और संरक्षण किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, दत्तक-ग्रहण, बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराध से संबंधित सामान्य सिद्धान्तों के नए अध्याय जुड़े।
- ♦ सेक्शनों की संख्या 70 से बढ़कर 112 हो गई है।
- ♦ बाल देखरेख संस्थानों तथा बाल न्यायालयों के बारे में अधिक स्पष्टता।
- ♦ अधिनियम को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है— कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (CCL) और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे (CNCP)।

2015 के अधिनियम के प्रमुख तत्व

- ♦ पूरे अधिनियम में किशोर (Juvvenile) की जगह बच्चा (Child) का बदलाव।
- ♦ अपराधों का श्रेणीकरण—छोटा अपराध, गंभीर और जघन्य।
- ♦ किशोर न्याय बोर्ड की जांच का समय निर्धारित।
- ♦ 16 वर्ष से अधिक उम्र के जघन्य अपराध के लिए आरोपित बच्चे के लिए विशेष प्रावधान।
- ♦ सभी बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य और इसका अनुपालन न करने पर कड़ा जुर्माना।
- ♦ अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए बच्चों के दत्तक-ग्रहण पद्धति को सही दिशा देने के लिए इससे संबंधित नया अध्याय जुड़ा।
- ♦ ऐसा बच्चा जो उपस्थित होकर यह मांग करता है कि वह परित्यक्त है, गुम हो गया है, अनाथ है या बिना पारिवारिक मदद के रह रहा है तो इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य है और रिपोर्ट न करने की दशा में जुर्माना देना होगा।
- ♦ बच्चों के विरुद्ध अनेक तरह के अपराध, शामिल किए गए हैं जो किसी अन्य कानून द्वारा पर्याप्त तरीके से आच्छादित नहीं किए गए थे। जैसे— किसी भी कार्य के लिए बच्चों को बेचना, खरीदना और प्राप्त करना जिसमें गैर कानूनी तरीके से दत्तक-ग्रहण भी शामिल है।
- ♦ संस्थानों में शारीरिक दण्ड।
- ♦ आतंकवादियों या अन्य वयस्क समूहों द्वारा बच्चों का प्रयोग।
- ♦ विकलांग बच्चों के विरुद्ध अपराध।
- ♦ अपहरण।
- ♦ बच्चे को शराब, नोर्कोटिक ड्रग्स या नशीली वस्तुएं बेचने, लाने—ले जाने, उठाने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के काम में लगाना।



चरण 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में 2015 के अधिनियम में मुख्य बातें

- ◆ 'कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर' के बदले 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे' कर दिया गया है।
- ◆ किसी भी बच्चे को मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।
- ◆ अपराधों को निम्न तरीके से श्रेणीबद्ध किया गया है:
 - छोटे अपराध
 - गंभीर अपराध
 - जघन्य अपराध



- ◆ किशोर न्याय बोर्ड की प्रारम्भिक जांच के बाद जघन्य अपराध के 16 से 18 वर्ष के आरोपी बच्चे की सुनवाई वयस्कों की तरह की जा सकती है।
- ◆ ऐसे बच्चों की प्रारम्भिक जांच किशोर न्याय बोर्ड को तीन माह के अन्दर कर लेनी चाहिए ताकि यह आंकलन किया जा सके कि बच्चा ऐसा अपराध करने में सक्षम है तथा क्या वो इस अपराध के नतीजों को जानता है।
- ◆ अगर बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि इस मामले का निर्णय बोर्ड को ही करना चाहिए तब बोर्ड को अपनी पद्धति का पालन करना चाहिए, जहां तक हो सके कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसीज़र 1973 के तहत समान केसों की तरह।
- ◆ प्रारम्भिक जांच के बाद जब बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचता है कि केस की सुनवाई वयस्कों की तरह होनी चाहिए, तब बोर्ड केस को बाल अदालत (Children's Court) जो कि ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत है, में स्थानान्तरण का आदेश पारित कर सकता है।
- ◆ परिवीक्षा अधिकारी की प्रारम्भिक जांच के आधार पर बोर्ड को यह निर्णय ले लेना चाहिए कि मामले को बाल न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए या जांच बोर्ड द्वारा ही जारी रखी जाए।
- ◆ बोर्ड के प्रारम्भिक जांच के बाद, अदालत यह निर्णय लेगी कि क्या बच्चे की सुनवाई कोड ऑफ क्रिमीनल प्रोसीज़र 1973 के तहत वयस्क की तरह की जाए और इसके लिए आयुक्त आदेश पारित करें या बोर्ड के रूप में जांच जारी रखे तथा किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 18 के अनुरूप उपयुक्त आदेश पारित करे।
- ◆ बाल न्यायालय को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से जुड़े अन्तिम आदेश में, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे के पुनर्वास के लिए उसकी व्यक्तिगत देखरेख योजना भी शामिल हो।
- ◆ बाल न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बच्चा कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया है उसे 21 वर्ष का होने तक 'सुरक्षा के स्थान' (Place of Safety) में भेजना चाहिए और 21 वर्ष पूरे होने के बाद उसे जेल में स्थानान्तरित कर देना चाहिए।



चरण 3: किशोर न्याय अधिनियम, 2015: बच्चों की देखरेख और संरक्षण के सामान्य सिद्धान्त



किशोर न्याय अधिनियम अपने प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों को निर्धारित करता है:

- क) **निर्दोष होने का अनुमान:** 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को आपराधिक प्रवृत्ति से निर्दोष अनुमानित करना चाहिए।
- ख) **गरिमा और सम्मान का सिद्धान्त:** सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा और अधिकार के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।
- ग) **भागीदारी का सिद्धान्त:** सभी बच्चों का यह अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए और उनके हित को प्रभावित करने वाली सभी प्रक्रियाओं तथा निर्णयों में उन्हें भागीदार बनाया जाए।
- घ) **सर्वोत्तम हित का सिद्धान्त:** सभी निर्णयों में मुख्य विचार इस बात का होगा कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।
- ङ) **पारिवारिक जिम्मेदारी का सिद्धान्त:** देखरेख, पालन-पोषण तथा संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार, या दत्तक या पालक माता-पिता का है।
- च) **सुरक्षा का सिद्धान्त:** देखरेख और संरक्षण तंत्र में रहने के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न हो, कोई नुकसान न हो तथा सुरक्षित रहे, ऐसे हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए।
- छ) **सकारात्मक उपाय:** हर तरह के संसाधनों को एकत्रित किया जाना चाहिए, वे भी जो परिवार और समुदाय के हैं ताकि बच्चे की खुशहाली, व्यक्तिगत पहचान विकसित करने और एक समावेशी तथा सहायक वातावरण प्रदान किया जा सके जिससे बच्चे की निरीहता को कम किया जा सके एवं इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जरूरत भी पूरी हो।
- ज) **अपशब्द न प्रयोग करने का सिद्धान्त:** बच्चे के साथ कार्यवाही की प्रक्रिया में दोष लगाने वाले या विरोधी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- झ) **अधिकारों की मनाही न करने का सिद्धान्त:** बच्चे के किसी भी तरह के अधिकारों की मनाही की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही यह मान्य है।
- ञ) **समानता और भेदभाव न करना:** किसी भी आधार पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- ट) **एकान्तता और गोपनीयता का अधिकार:** पूरी कानूनी कार्यवाही के दौरान बच्चे को अपनी एकान्तता तथा गोपनीयता को बनाए रखने का अधिकार है।
- ठ) **संस्थागत देखरेख अन्तिम आश्रय:** उपयुक्त जांच के बाद बच्चे को संस्थागत देखरेख में रखना अन्तिम विकल्प होना चाहिए।
- ड) **देश प्रत्यावर्तन और परिवार में वापसी:** किशोर न्याय तंत्र के तहत आने वाले सभी बच्चों को अपने परिवार के साथ पुनः एकीकरण का अधिकार है, यह तब ठीक नहीं है जब इस तरह का प्रत्यावर्तन या परिवार में वापसी उसके सर्वोत्तम हित में नहीं है।
- ढ) **नवीन शुरुआत:** किशोर न्याय तंत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी भी बच्चे के (विशेष स्थितियों को छोड़कर) पूर्व के अभिलेख नष्ट कर दिए जाएंगे।
- ण) **बदलाव:** कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों को बिना कानूनी सुनवाईयों का सहारा लिए निपटाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा, अगर यह बच्चे या समग्र रूप से समाज के सर्वोत्तम हित में होगा।
- त) **स्वाभाविक न्याय:** पक्षपात रहित कानूनी कार्यवाही के मूल मानकों का अनुपालन किया जाएगा जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और समीक्षा का अधिकार भी शामिल है।




² http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2016-2_0.pdf




चरण 4: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित फ्लो चार्ट


बच्चे द्वारा अपराध किया गया



बाल न्यायालय द्वारा सुनवाई



बाल न्यायालय द्वारा परीक्षण







चरण 5: देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे (CNCP)

- बच्चे को 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- अभिभावकों से अलग हुए बच्चों को पाने की रिपोर्टिंग अनिवार्य है।
- रिपोर्ट न देना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
- बाल कल्याण समिति को माह में कम से कम 20 दिन मिलना चाहिए।
- जिला मजिस्ट्रेट (DM) को समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक करनी चाहिए।

बाल कल्याण समिति द्वारा जांच



जांच पूरी करने की समयवधि





चरण 6: संस्थागत देखरेख

- ◆ अधिनियम के लागू होने की तिथि से छः माह के अन्दर बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसका अनुपालन न करने पर दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
- ◆ पंजीकरण के आवेदन पत्र पर छः माह के अन्दर फैसला कर दिया जाना चाहिए (अन्यथा इसे जिम्मेदारी से लापरवाही मानी जाएगी और विभागीय कार्यवाही हो सकती है)।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की संस्थागत देखरेख

- ◆ जांच की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी रूप से 'अवलोकन गृह' में रखे जाएंगे, बच्चों को उम्र, लिंग, शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा कुछ मामलों में अपराध की हद के अनुसार अलग-अलग रखा जाएगा।
- ◆ ऐसे बच्चों को जिन्हें किशोर न्याय बोर्ड ने अपराधी पाया है को 'विशेष गृहों' में रखा जाएगा।
- ◆ 'सुरक्षा के स्थान' की स्थापना 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों या 16 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चों के लिए किया जाएगा जिन्होंने जघन्य अपराध किया है।
- ◆ सुरक्षा के स्थान में विचाराधीन बच्चों के लिए, अपराधी साबित हो चुके बच्चों को पुनर्वास के लिए अलग रखने की व्यवस्था होगी।
- ◆ किशोर न्याय बोर्ड वयस्कों के बन्दीगृहों (Jails) का नियमित निरीक्षण करेगा ताकि यह जांच सके कि इनमें बच्चे तो नहीं रखे गए हैं और अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है तो उसे अवलोकन गृह में स्थानान्तरित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की संस्थागत देखरेख

- ◆ सामुदायिक सहयोग की जरूरत वाले बच्चों के लिए खुला आवास (Open Shelter), थोड़े समय के लिए उन्हें दुर्व्यवहार या सड़क पर जीवनयापन करने से बचाने के लिए।
- ◆ थोड़े समय के लिए बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए बाल कल्याण समिति किसी संस्था को पूरी छानबीन के उपरान्त बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए उपयुक्त चिन्हित कर सकती है।
- ◆ अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष दत्तक-ग्रहण एजेंसी (Special Adoption Agency) हैं।

पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण

- ◆ बच्चे के व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार उसके पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण, विशेषतः परिवार आधारित देखरेख जैसे- पर्यवेक्षण और स्पॉन्सरशिप सहित या रहित परिवार या अभिभावक के साथ पुनः एकीकरण, या दत्तक-ग्रहण या पालक देखरेख का कार्य किया जाना चाहिए।
- ◆ अगर कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जमानत पर रिहा नहीं किया गया है या विशेष गृह या सुरक्षा के स्थान, या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति के साथ नहीं रखा गया है और बोर्ड के आदेश पर अवलोकन गृह में है तो उसके पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया अवलोकन गृह से ही शुरू कर दी जानी चाहिए।



- ◆ देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे जो परिवारों में नहीं रहते हैं उन्हें किसी ऐसे संस्थान में, जो इस अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए पंजीकृत हैं या किसी उपयुक्त व्यक्ति, या किसी उपयुक्त संस्था में अस्थायी या लम्बे समय के लिए रखना चाहिए तथा बच्चा जहां भी रखा गया हो वहां उसके पुनर्वास व एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए।
- ◆ देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे जो संस्थागत देखरेख, या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जो विशेष गृह या सुरक्षा का स्थान 18 वर्ष पूरा होने के बाद छोड़ रहे हैं, को सेक्शन 46 के प्रावधान के अनुसार वित्तीय सहायता दी जा सकती है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल हो सकें।

अन्य मुख्य प्रावधान

1. केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संस्थान प्राधिकरण (CARA), अनाथ बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए नियम बनाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण की अनुमति तब है जब दत्तक-ग्रहण के लिए बच्चे के मुक्त घोषित होने के 30 दिन के अन्दर कोई भारतीय दम्पति जो दत्तक-ग्रहण का इच्छुक हो, उपलब्ध नहीं है।
2. दत्तक-ग्रहण के इच्छुक दम्पति आर्थिक और शारीरिक रूप से सशक्त होने चाहिए। एक अकेला व्यक्ति या तलाकशुदा व्यक्ति भी दत्तक-ग्रहण कर सकता है। विकलांग बच्चों को दत्तक-ग्रहण में प्राथमिकता दी जाएगी।
3. बाल कल्याण समिति के आदेश तथा पालक परिवार के चयन के आधार पर देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे को पालक देखरेख में रखा जा सकता है।
4. बच्चों को खरीदने और बेचने की सजा 5 वर्ष तक का कारावास है। बच्चे को कोई नशा या मादक पदार्थ देने की सजा 7 वर्ष तक का कारावास है।
5. बाल गृह, अवलोकन गृह, विशेष गृह आदि जैसी सुविधाओं को स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
6. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के सभी बाल देखरेख संस्थानों/आवासीय सुविधाओं का पंजीकरण अनिवार्य है तथा पंजीकरण न कराने की स्थिति में जुर्माना देना पड़ेगा।
7. बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण अवश्य कराया जाना चाहिए। बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों को शारीरिक दण्ड देना भी दण्डनीय अपराध है।
8. देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद तथा कानून का उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के बच्चों के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना अनिवार्य है।
9. मीडिया, बच्चे अपराधियों की पहचान का खुलासा नहीं कर सकती है।



चरण 7: बच्चों के विरुद्ध अपराधों की सजा

- ◆ बच्चों के साथ क्रूरता की सजा छः माह से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
- ◆ बच्चों को बेचना और खरीदना दण्डनीय अपराध है तथा इसकी सजा 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
- ◆ बच्चों के देखरेख संस्थानों में बच्चों को शारीरिक दण्ड देना दण्डनीय अपराध है।
- ◆ कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना दत्तक-ग्रहण करना दण्डनीय है और इसके लिए 3 वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।



अन्य बाल संरक्षण कानून और उनकी मुख्य विशेषताएं



- ♦ **बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2013 (POCSO)**
– बच्चों को यौन दुर्व्यवहार, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए यह अधिनियम है। ऐसे अपराधों की सुनवाई और संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालतें गठित की जाती हैं।
 - जहां भी विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या पुलिस इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे के विरुद्ध अपराध किया गया है तो उन्हें बच्चे को देखरेख और संरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए (बच्चे को शेल्टर होम या नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करना)।
 - विशेष किशोर पुलिस इकाई या पुलिस को 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति और विशेष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए तथा जहां पर विशेष अदालत मनोनीत नहीं है वहां सेशन कोर्ट को रिपोर्ट दें।
 - बच्चे का बयान उसके निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान पर लिया जाना चाहिए। बयान महिला पुलिस द्वारा लिया जाना चाहिए और महिला पुलिस का पद उप निरीक्षक से नीचे न हो।
 - पुलिस अधिकारी को बयान लेते समय वर्दी नहीं पहननी चाहिए।
 - पुलिस अधिकारी को जांच के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे का किसी भी समय आरोपी से संपर्क नहीं होना चाहिए।
 - रात में किसी भी कारण बच्चे को पुलिस स्टेशन पर नहीं रोका जा सकता है।
 - पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की पहचान सार्वजनिक होने से बचाई जाए।
 - बच्चे की चिकित्सीय जांच बच्चे के माता-पिता या ऐसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति में होनी चाहिए जिस पर बच्चे का विश्वास हो या आत्मविश्वास प्राप्त होता हो।
 - अगर अपराध की शिकार लड़की है तो उसकी चिकित्सीय जांच महिला डॉक्टर के द्वारा होनी चाहिए।
 - शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन को विशेष अदालत मनोनीत करना चाहिए ताकि वे ऐसे अपराधों की सुनवाई कर सकें। पॉक्सो रूल्स 2012 के रूल 4 (5) के अनुसार बाल कल्याण समिति को बच्चे के सर्वोत्तम हित के साथ-साथ बच्चे द्वारा व्यक्त कोई प्राथमिकता या राय का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई बात निर्धारित करने से पहले, इस तरह से जांच करनी चाहिए कि आवश्यक रूप से बच्चे को चोट लगने की संभावना या असुविधा न हो। यह जांच या तो बाल कल्याण समिति द्वारा स्वयं या सामाजिक कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी/गैर सरकारी संस्था/अन्य कोई व्यक्ति जिसे उपयुक्त पाकर बाल कल्याण समिति ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, की सहायता से की जाएगी। जहां पर बच्चे की सहायता के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है रूल 4 (5) के तहत वही व्यक्ति बाल कल्याण समिति को जांच में सहायता देने के लिए शामिल किया जा सकता है।
 - विशेष अदालत को अपनी कार्यवाही कैमरे के सामने, माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चे का विश्वास हो या जिससे बच्चे को आत्मविश्वास प्राप्त होता हो, की उपस्थिति में चलाई जाएगी।

- विशेष अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाही के लिए बच्चे को बार-बार अदालत में न बुलाया जाए।
- अपराध का संज्ञान लेने के समय से, जहां तक संभव हो एक वर्ष के अन्दर विशेष अदालत को सुनवाई पूरी कर लेनी चाहिए।

पॉक्सो अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराध

- ♦ बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध
 - भेदक यौन आक्रमण (Penetrative Sexual Assault)
 - गंभीर भेदक यौन आक्रमण (Aggravated Penetrative Sexual Assault)
 - यौन हमला (Sexual Assault)
 - गंभीर यौन हमला (Aggravated Sexual Assault)
 - यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)
 - पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का इस्तेमाल
 - अपराध करने के प्रयास का अभियोग
 - रिपोर्ट करने या केस दर्ज करने में असफलता
 - फर्जी शिकायत या फर्जी सूचना



बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम 2019

- ♦ **भेदक यौन आक्रमण (Penetrative Sexual Assault):** इस अधिनियम के तहत व्यक्ति द्वारा भेदक यौन आक्रमण माना जायेगा यदि वह (i) अपने लिंग द्वारा बच्चे की योनि, मुंह, मूत्र नलिका या गुदा में भेदन करता है या (ii) बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है या (iii) बच्चे के शरीर में किसी वस्तु को डालता है या (iv) अपना मुंह से बच्चे के शरीर के किसी भाग को लगाता है। ऐसे जुर्म के लिए सात वर्ष तक की जेल की सजा तथा आर्थिक दंड है। संशोधन अधिनियम में इस सजा को सात वर्ष से दस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अधिनियम में आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ भेदक यौन आक्रमण करता है तो उसके लिए बीस साल की जेल तथा आर्थिक दंड की सजा होगी।
- ♦ **गंभीर भेदक यौन आक्रमण (Aggravated Penetrative Sexual Assault):** अधिनियम में कुछ कार्यों को गंभीर भेदक यौन आक्रमण की परिभाषा में रखा गया है। इनमें किसी पुलिस अधिकारी, फौज का सदस्य या लोक सेवक द्वारा भेदक यौन आक्रमण शामिल है। इसमें अन्य कारणों के अलावा ऐसे केस भी शामिल हैं जब अपराधी बच्चे का रिश्तेदार हो, या यदि आक्रमण के कारण बच्चे के यौन अंगों को क्षति हुई हो या बच्ची गर्भवती हो गयी हो। अधिनियम में दो और कारण भी गंभीर भेदक यौन आक्रमण की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इनमें (i) आक्रमण के कारण बच्चे की मृत्यु होना तथा (ii) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आक्रमण, अथवा ऐसी किसी मिलती-जुलती स्थिति के समय आक्रमण शामिल है। वर्तमान में गंभीर भेदक यौन आक्रमण की सजा दस से आजीवन काल तथा आर्थिक दंड की है। अधिनियम में इस दंड की कम से कम सजा को बीस वर्ष तथा अधिक से अधिक को मृत्यु दंड के रूप में बढ़ा दिया गया है।

- ♦ **गंभीर यौन आक्रमण (Aggravated Sexual Assault):** अधिनियम के अनुसार 'यौन आक्रमण' उसे माना जाता है यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे की योनि, लिंग, गुदा अथवा छाती को यौन संपर्क के इरादे से छूता है। गंभीर यौन आक्रमण में अन्य कार्यों के अलावा अपराधी का बच्चे का रिश्तेदार होना अथवा बच्चे के यौनिक अंगों को क्षति पहुंचाना शामिल हैं। अधिनियम में इस श्रेणी में दो और अपराध शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत (i) प्राकृतिक आपदाओं के समय यौन आक्रमण तथा (ii) बच्चे के यौन अंगों की समय से पूर्व परिपक्वता होने के लिए किसी प्रकार के हॉर्मोन अथवा रासायनिक पदार्थ का सेवन करवाना या करवाने में मदद देना शामिल हैं।
- ♦ **अश्लील सामग्री के लिए बच्चों का इस्तेमाल, अपराध करने के प्रयास का अभियोग:** अश्लील उद्देश्य: अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति बच्चे का अश्लील उद्देश्य से इस्तेमाल का अपराधी माना जायेगा यदि वह बच्चे का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के मीडिया में अपनी यौन संतुष्टि के लिए करता है। अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है जब किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्य से उपयोग का परिणाम यौनिक आक्रमण हो। अधिनियम में बाल अश्लीलता की परिभाषा यौन स्पष्ट आचरण जिसमें बच्चे का दृश्य चित्रण किसी फोटो, वीडियो, डिजिटल कम्प्यूटर द्वारा बनाई गई छवि जो वास्तविक बच्चे के चित्र से अविवेच्य हो बताई गई है।

तालिका 1: इसके अतिरिक्त अधिनियम में कुछ अपराधों की सजा निम्न तालिका अनुसार बढ़ा दी गयी है:

अपराध	पॉक्सो अधिनियम 2012	पॉक्सो अधिनियम 2019
बच्चे का अश्लील उद्देश्य से इस्तेमाल	♦ अधिक से अधिक 5 वर्ष	♦ कम से कम 5 वर्ष
बच्चे का अश्लील उद्देश्य से उपयोग का परिणाम भेदक यौनिक आक्रमण हो	♦ कम से कम 10 वर्ष ♦ अधिक से अधिक: आजीवन कारावास	♦ कम से कम 10 वर्ष ♦ यदि बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम: 20 साल की जेल ♦ अधिक से अधिक: आजीवन कारावास
बच्चे का अश्लील उद्देश्य से उपयोग का परिणाम गंभीर भेदक यौनिक आक्रमण हो	♦ आजीवन कारावास	♦ कम से कम 20 वर्ष ♦ अधिक से अधिक: आजीवन कारावास या मृत्यु दंड
बच्चे का अश्लील उद्देश्य से उपयोग का परिणाम यौनिक आक्रमण हो	♦ कम से कम 6 वर्ष ♦ अधिक से अधिक 8 वर्ष	♦ कम से कम 3 वर्ष ♦ अधिक से अधिक 5 वर्ष
बच्चे का अश्लील उद्देश्य से उपयोग का परिणाम गंभीर यौनिक आक्रमण हो	♦ कम से कम 8 वर्ष ♦ अधिक से अधिक 10 वर्ष	♦ कम से कम 5 वर्ष ♦ अधिक से अधिक 7 वर्ष

नोट: जब बच्चे का अश्लील उद्देश्य से उपयोग का परिणाम यौनिक आक्रमण हो, ऐसे अपराधों की सजा बच्चों का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों के लिए किए जाने के अपराध की कम से कम 5 साल की सजा से अतिरिक्त है।

अश्लील सामग्री का मोबाइल, लैपटॉप कम्प्यूटर इत्यादि पर संग्रह: अधिनियम में अश्लील सामग्री का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संग्रह करने की सजा तीन वर्ष तक का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों हैं। 2019 अधिनियम में इस सजा को बढ़ा कर तीन से पांच वर्ष या आर्थिक दंड अथवा दोनों कर दिया गया है। इसके अलावा अधिनियम में दो अन्य अपराध अश्लील सामग्री का संग्रहण करने के लिए जोड़े गए हैं। इनमें (i) बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को न मिटाना, नष्ट न करना या उसकी सूचना न देना और (ii) इन सामग्रियों को आगे भेजना, दर्शाना, वितरण करना सिवाय तब जब वितरण का मकसद संग्रहण की सूचना देना हो।

स्रोत: बच्चों की यौन आक्रमण से सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019: बच्चों की यौन आक्रमण से सुरक्षा अधिनियम 2012 पी.आर.एस।

बच्चों के खिलाफ यौन हमलों जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रणाली में अधिक सुधारवादी, उपचार और निवारक प्रयासों की एक मजबूत आवश्यकता है। कानून आवश्यक हैं, लेकिन वे लिंग के आधार, मानदंडों और व्यवहार संबंधी प्रथाओं की गहरी जड़ों को बदल पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।



चरण 8: बाल श्रम (विशेष और नियामक) संशोधन अधिनियम, 2016

- एक ऐसा अधिनियम जो बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगाए जाने और किशोर-किशोरियों को जोखिम वाले कार्यों तथा प्रक्रियाओं में लगाए जाने से निषेध करता है तथा उससे जुड़ी बातों को स्पष्ट करता है।
 - 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, स्कूल का समय पूरा होने के बाद या छुट्टियों में अपने घर के कार्यों या व्यवसाय में हाथ बटाने (जो जोखिम वाला कार्य न हो) तथा ऐसे कलाकार जो श्रव्य-दृश्य मनोरंजन उद्योग में कार्य करते हैं, को छोड़कर किसी भी प्रकार के रोजगार, व्यवसाय या उसकी प्रक्रियाओं में कार्य नहीं कर सकता या उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
 - कोई भी किशोर-किशोरी (14 से 18 वर्ष का व्यक्ति) किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य (जो सूची में हैं तथा उनकी प्रक्रियाओं) में नहीं लगाए जा सकते, न ही उन्हें इसकी अनुमति दी जा सकती है।
 - अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध जो भी बच्चों या किशोर-किशोरियों को काम पर लगाएगा उसे कम से कम छः माह के कारावास (जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) की सजा होगी या कम से कम 20 हजार का जुर्माना (जो पचास हजार तक बढ़ाया जा सकता है) या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं।
 - अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो दोषी ठहराया जा चुका है वह अगर बाद में वैसा ही अपराध करता है तो उसे कम से कम एक वर्ष के कारावास की सजा होगी, जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।



- ♦ **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006**— बाल विवाह के रिवाज के निषेध के लिए यह अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत बच्चा का तात्पर्य अगर पुरुष है तो, जिसने 21 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है और अगर महिला है तो जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है।
- ♦ **अनैतिक तस्करी निषेध अधिनियम, 1956** यह अधिनियम तस्करी और आर्थिक लाभ के लिए यौन शोषण की रोकथाम करता है।
- ♦ **बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम**, यह एक ऐसा अधिनियम है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का हकदार बनाता है।
- ♦ **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2015**, बाल अधिकारों की रक्षा तथा बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों के शीघ्र निपटारे या बाल अधिकारों के उल्लंघन या उनसे जुड़े मुद्दों को देखने के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा राज्य के आयोगों एवं बाल न्यायालयों के गठन के लिए यह अधिनियम है।



चरण 9: अनुश्रवण

बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCPCR) और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग (SCPCR) को अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण अनिवार्य रूप से करना है, ऐसे तरीके से जो निर्धारित है। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की एक किशोर न्याय समिति है जिसमें न्यायाधीश नियुक्त है तथा जिन्हें प्रमुख रूप से किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन के अनुश्रवण का कार्य दिया गया है, साथ ही साथ वे कानून से संबंधित और कार्य भी करते हैं।



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बाल संरक्षण सेवाएं योजना² (अब-समेकित बाल संरक्षण योजना)

बाल संरक्षण सेवाएं योजना का क्रियान्वयन 2009 से ही किया जा रहा है ताकि किशोर न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो सके। योजना का लक्ष्य है अच्छी तरह से सुस्पष्ट सेवा देने की संरचना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्थागत देखरेख भी शामिल है, एक सुरक्षा का ताना-बाना तैयार करना है। इसके आगे यह योजना समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के छतरी के नीचे आ गई है इसे बाल संरक्षण सेवाओं (CPS) के नाम से जाना जाता है। बाल संरक्षण सेवाओं (CPS) के तहत सुरक्षात्मक, वैधानिक देखरेख और पुनर्वास सेवाएं उन बच्चों को दी जाती हैं जो देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद हैं, कानून का उल्लंघन किया हो, जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा पारिभाषित किया गया है व किसी भी अन्य कमजोर तथा निरीह बच्चे को दी जा सकती है। यह केन्द्र से वित्तपोषित योजना है जो राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को स्वयं या उपयुक्त गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को सेवाएं देने (जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 और किशोर न्याय रूल्स में अनिवार्य किया गया है) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2019 में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाया जाए और बाल देखरेख संस्थाओं का अनुश्रवण तथा निरीक्षण किया जाए जिससे कि इनका प्रबन्धन सही तरीके से हो और वहां रह रहे बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हो।



उद्देश्य:

सत्र के अन्त तक प्रतिभागी बता पाएंगे कि बाल संरक्षण सेवाओं (CPS) की विशेषताएं क्या हैं। योजना की कार्य पद्धति से परियोजना की कार्य पद्धति में बदलाव के बाल संरक्षण सेवाओं के संकेत, यह परिवार आधारित गैर संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देती है।



चरण 1

बाल संरक्षण सेवाओं के उद्देश्य हैं:

- आवश्यक सेवाओं को संस्थागत करना और आपातकालीन आउटरीच, संस्थागत देखरेख, परिवार एवं समुदाय आधारित देखरेख, परामर्श तथा सहायक सेवाओं को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य व जिले स्तर पर सशक्त बनाना।
- सभी स्तरों पर, सभी कार्य करने वालों, जिनमें प्रशासक, सेवा प्रदाता, सम्बद्ध तंत्र के सदस्यों जिनमें स्थानीय निकाय, पुलिस और न्याय तंत्र भी शामिल है, की क्षमताओं में वृद्धि करना।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और नॉलेजबेस तैयार करना जिसमें प्रबन्धन सूचना तंत्र (Management Information System) और देश में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (Child Tracking System) भी शामिल है ताकि बाल संरक्षण सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण किया जा सके।
- परिवार तथा समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढीकरण।

² <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=187560>

- ◆ सभी स्तरों पर अन्तर विभागीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- ◆ सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, जन समुदाय को बाल अधिकार तथा संरक्षण पर शिक्षित करना।

अंग

- ◆ संस्थागत देखरेख
- ◆ गैर-संस्थागत देखरेख
- ◆ एम.आई.एस. (MIS) चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम और खोए बच्चों की वेबसाइट
- ◆ आपातकालीन आउटरीच सेवाएं

प्रदायगी की रूपरेखा

राष्ट्रीय स्तर पर

- ◆ महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD)
- ◆ केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी (CARA)
- ◆ केन्द्रीय परियोजना सहायक इकाई (CPSU)
- ◆ नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक स्पोर्ट एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट (NIPCCD)
- ◆ चाइल्ड इंडिया फाउन्डेशन (CIF)

राज्य स्तर पर

- ◆ राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में एक मौलिक इकाई।
- ◆ राज्य परियोजना सहायक इकाई (SASU) का गठन प्रत्येक राज्य में, जहां समेकित बाल संरक्षण योजना की शुरुआत की जा चुकी है, में इसका गठन किया जाएगा ताकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में समेकित बाल संरक्षण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
- ◆ राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA)– केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी (CARA) को देश के अंदर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने और अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण का विनियमन (Regulating) करने में सहायता देने के लिए इसका प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में, राज्य बाल संरक्षण योजना की एक इकाई के रूप में गठन किया गया है। समन्वय करना, अनुश्रवण करना और दत्तक-ग्रहण के कार्य को विकसित करने तथा राज्य दत्तक-ग्रहण सलाहकार समिति (SAAG) को साचिविक (Secretarial) और प्रबन्धकीय सहायता देना इसकी जिम्मेदारी है।
- ◆ राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPC) प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में यह समिति समेकित बाल संरक्षण योजना का राज्य के विशिष्ट सूचकों के आधार पर अनुश्रवण करेगी।
- ◆ राज्य दत्तक-ग्रहण सलाहकार समिति (SAAG)।

जिला स्तर पर

- ◆ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में एक आधारभूत इकाई है।
- ◆ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) जिला मजिस्ट्रेट के पूर्णरूप से प्रशासनिक नियंत्रण और निरीक्षण में, जिले के विशिष्ट सूचकों के आधार पर समेकित बाल संरक्षण योजना का अनुश्रवण करेगी।
- ◆ विशेष दत्तक-ग्रहण एजेंसी (SAA) पालक देखरेख के लिए कमजोर और अति गरीब परिवारों तथा बच्चों को चिन्हित करेगी एवं बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करेगी व उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए बाल कल्याण समिति के पास संस्तुति भेजेगी।
- ◆ स्पॉन्सरशिप और पालक देखरेख अनुमोदन समिति।



चरण 2

बाल संरक्षण योजना का भारत में क्रियान्वयन (समेकित बाल संरक्षण योजना के वर्ष 2017-18 के लाभार्थियों का विवरण जानने के लिए देखें संलग्नक 3)

बाल संरक्षण योजना के तहत संस्थागत देखरेख सेवाएं

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने यह सूचित किया है कि पूरे देश में अभी तक 723 बाल कल्याण समितियों तथा 702 किशोर न्याय बोर्डों को गठित किया जा चुका है।

बाल संरक्षण योजना के तहत संस्थागत देखरेख सेवाएं

वर्ष 2018-19 के दौरान मंत्रालय ने 1511 गृहों, 322 विशेष दत्तक-ग्रहण एजेंसियों (SAAS और 265 खुले आवासों) (Open Shelter) की सहायता, राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से की है।

संस्थागत देखरेख से आच्छादित लाभार्थी

वर्ष 2018-19 के दौरान 78,000 से अधिक बच्चे बाल संरक्षण योजना के तहत संस्थागत देखरेख सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।

बाल संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण और अनुश्रवण

बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निरीक्षण करने और किशोर न्याय मॉडल रूल्स, 2016 के अनुसार संस्थानों का रखरखाव करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को संस्थानों का संचालन करने वाली एजेंसियों की पृष्ठभूमि जांचने और संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराने की सलाह दी है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी है कि बच्चों के संस्थानों में रहने के दौरान कोई भी संभावना होने पर बच्चों के कल्याण के लिए कदम उठाएं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार से निरन्तर आग्रह किया है कि किशोर न्याय बोर्ड के तहत सभी बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण कराया जाए। अब तक किशोर न्याय अधिनियम के तहत देश में 8,200 से अधिक बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण किया जा चुका है। 539 बाल देखरेख संस्थानों को राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा निरीक्षण में विभिन्न मामलों में उपयुक्त न पाए जाने पर बन्द किया जा चुका है।

गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं

वर्ष 2018-19 में गैर संस्थागत सेवाओं, जिसमें पालक देखरेख, स्पॉन्सरशिप और दत्तक-ग्रहण शामिल हैं, को सशक्त बनाने पर जो दिया गया है। 30 नवम्बर 2018 तक 6,000 से अधिक बच्चों को, योजना के अंग स्पॉन्सरशिप के द्वारा लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा इस वर्ष (20 नवम्बर 2018 तक) 1,900 बच्चों को 'देश में दत्तक-ग्रहण' के लिए और 365 बच्चों को अन्तर्राष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण के लिए तैयार किया गया है।

चाइल्ड हेल्पलाइन



चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 इस योजना का एक अंग है जो राज्यों को सीधे बाल संरक्षण तंत्र से जोड़ता है और इसके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। इस समय देश के लगभग 65 प्रतिशत भाग को 475 स्थानों से चाइल्ड लाइन द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। सामाजिक संस्थाओं से मिलकर मंत्रालय चाइल्ड हेल्पलाइन को सप्ताह के सातों दिन और चौबीस घण्टे चला रही है। देश भर में चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन एक मुख्य गैर सरकारी संस्था अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर यह सेवाएं दे रही हैं। बाल संरक्षण सेवाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन साझेदार संस्थाओं का पंजीकरण नीति आयोग में पंजीकरण किया गया है और PFMS पोर्टल पर रखा गया है।

रेलवे स्टेशनों पर बाल सहायता डेस्क

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मानक कार्य पद्धति (SOPs) तैयार की है जो रेलवे की सहायता से क्रियान्वित किया जाएगा और भागे हुए, छोड़ दिए गए, अपहरण या तस्करी किए गए बच्चों को मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने का कार्य किया जाएगा। बच्चों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए बाल सहायता डेस्क की स्थापना विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर की गई है। 2017-18 में बाल सहायता डेस्क की संख्या 62 थी जो वर्ष 2018-19 में बढ़ाकर 84 रेलवे स्टेशनों पर कर दी गई है, वर्तमान वर्ष (2018-19) में लगभग 60,000 बच्चों की इन सुविधाओं से मदद दी जा चुकी है।

2018 का हौसला उत्सव

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अन्तर-बाल देखरेख संस्थानों के उत्सव (हौसला 2018) की मेजबानी की। यह उत्सव 'बाल सुरक्षा' के विषय पर आयोजित किया गया था ताकि संस्थागत देखरेख में रहने वाले बच्चों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए वे राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकें। इसके अलावा इस उत्सव का लक्ष्य यह भी था कि विभिन्न स्थितियों में अपनी सुरक्षा के बारे में बच्चों का क्या नज़रिया है। उत्सव के दौरान बच्चों ने बहुत सारी गतिविधियों में भाग लिया जिसमें वाद-विवाद, चित्रकारी, खेलकूद, फुटबॉल और शतरंज प्रतियोगिता भी शामिल थी। इस वर्ष एक नया कार्यक्रम, जिसका नाम 'अधिनियम' रखा गया है, जोड़ा गया ताकि बच्चों में मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिले। इस कार्यक्रम में 18 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बाल देखरेख संस्थानों से 600 से अधिक बच्चों ने भाग लिया।

खोया-पाया पोर्टल

बच्चों के संरक्षण में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जून 2015 में नागरिक आधारित पोर्टल 'खोया-पाया' की शुरुआत की गई। इस पोर्टल पर खोए या पाए बच्चों की सूचना दी जा सकती है। 2018-19 में 9,962 प्रयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, इसके अलावा 1,10,000 खोए या देखे गए बच्चों का प्रकाशन अब तक इस पोर्टल पर किया जा चुका है।



यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के लिए ई-बॉक्स

अक्सर बच्चे यौन दुर्व्यवहारों के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। उन्हें सुरक्षित और गुमनाम तरीके से दर्ज कराने के लिए एक इंटरनेट आधारित सुविधा, NCPCR के वेबसाइट पर PocsO e-box (पोस्को ई-बॉक्स) के रूप में उपलब्ध कराई गई है जिस पर बच्चा या उसकी तरफ से कोई भी, बहुत ही कम विवरण देकर शिकायत दर्ज कर सकता है। पोक्सो ई-बॉक्स अन्य माध्यमों से शिकायत प्राप्त करता है जैसे- ई-मेल, पोस्को ई-बटन (PocsO e-button) आदि। जैसे ही शिकायत दर्ज की जाती है एक प्रशिक्षित परामर्शदाता तुरन्त बच्चे से सम्पर्क करता है और उसे सहायता प्रदान करता है। अगर जरूरी हो तो परामर्शदाता बच्चे की तरफ से एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज करता है। पोक्सो ई-बॉक्स की शुरुआत अर्थात् 26 अगस्त 2016 से 20 दिसम्बर 2018 तक कुल 3,213 शिकायतें इस हेल्पलाइन नम्बर पर प्राप्त की जा चुकी हैं। इन शिकायतों में से 135 मामले ऐसे थे जिन्हें यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (PocsO Act) के तहत आच्छादित किया जाता था।

The image shows a screenshot of the PocsO e-box reporting form. It is a web-based form with several input fields. The first field is for the child's name, followed by a dropdown menu for the state. There are fields for the child's age and gender. A large text area is provided for the user to describe the incident. At the bottom, there is a 'Report' button and a 'Back' button. The form is designed to be user-friendly and accessible.

बाल संरक्षण नीति का प्रारूप

मंत्रालय ने बाल संरक्षण नीति 2018 का प्रारूप तैयार किया है। भारत के संविधान में प्रदत्त सुरक्षा, विभिन्न बाल केन्द्रित कानूनों, अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ-साथ बच्चों के संरक्षण तथा खुशहाली के लिए अन्य लागू नीतियों के आधार पर यह नीति तैयार की गई है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहारों, बाल शोषण तथा उपेक्षा की रोकथाम करके तथा प्रति-उत्तर देकर उन्हें एक सुरक्षित तथा अनुकूल वातावरण देना, इस नीति का लक्ष्य है। यह एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जिससे सभी संस्थानों और संस्थाओं (इसमें कार्पोरेट और मीडिया हाउसेज भी शामिल हैं), सरकारी या निजी क्षेत्रों को बच्चों की सुरक्षा तथा संरक्षण करने व व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के संबंध में अपनी जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी।

संलग्नक 1: बाल अधिकारों को समझने के लिए चित्र कार्ड



स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय
सेवाएं



साईकिल



खुशहाल घर



कपड़े



पिकनिक और मनोरंजन



पोषक आहार तथा साफ
पानी



डांट-डपट नहीं



शिक्षा



बात सुनी जाए



स्मार्ट फोन



फास्ट फूड



खेल का मैदान



देखभाल करने वाला परिवार



सुरक्षित वातावरण



खिलौने और खेलकूद के सामान



चीजें खरीदने की क्षमता



भेदभाव रहित



भागीदारी



जब तक वह सो सके



टीवी और कम्प्यूटर

संलग्नक 2: गुब्बारों वाली गतिविधि



समय
20 मिनट



उद्देश्य

बाल संरक्षण के मुद्दे बिना डराए-धमकाए खुशनुमा तरीके से प्रस्तुत करना (इस गतिविधि को कार्यशाला की शुरुआत में करायी जानी चाहिए ताकि प्रतिभागी सक्रियता से शामिल हों और बाद की गंभीर चर्चाओं के लिए तैयार हो जाएं)।



आवश्यक सामग्री

- ◆ ऐसे फूले हुए गुब्बारे जो धागे से बंधे हों (प्रतिभागियों की संख्या की चौथाई संख्या में)
- ◆ बड़ी जगह जहां पर लोग आसानी से आवाजाही कर सकें
- ◆ पेन

निर्देश

1. प्रतिभागियों की संख्या गिनें और चार समूहों में बांट दें। पहले समूह के प्रतिभागियों को एक गतिविधि करने के लिए कहें (इससे अधिक उन्हें और कुछ नहीं बताना है)। उनके साथ कक्ष से बाहर जाएं। उनके समूह की संख्या 1 है। इनमें से प्रत्येक को एक-एक गुब्बारा दें और उसे फुलाकर धागे से बांधने के लिए कहें तथा उसे उनकी कलाई, कोहनी या शरीर के किसी भी भाग से कसकर बांधने के लिए कहें। इसके अलावा उनसे और कुछ भी न कहें।
2. दूसरे समूह के प्रतिभागियों (उतनी ही संख्या में जितनी समूह 1 में है) को अपने साथ कक्ष से बाहर चलने के लिए कहें। उन्हें निर्देश दें कि जब खेल शुरू होगा तो गुब्बारे वाले प्रतिभागियों में से एक-एक के साथ उन्हें रहना है और उन्हें सुरक्षा देनी है। पहले साइट के जिस प्रतिभागी के साथ इस समूह का प्रतिभागी रहेगा, केवल उसी को सुरक्षा देनी है। उन्हें बिलकुल बातचीत नहीं करनी है और वे समूह संख्या 2 हैं।
3. तीसरे समूह के तीन चार लोगों से कहें कि उन्हें जल्दी से जल्दी सारे गुब्बारे फोड़ने हैं। इसके लिए वे स्वयं रणनीति बनाएं। इनके समूह की संख्या 3 है।
4. जो बचे हुए प्रतिभागी हैं उन्हें देखने के लिए कहें। वे समूह 4 हैं। समूह 1,2,3 और 4 के प्रतिभागियों को यह न बताएं कि खेल का लक्ष्य क्या है। केवल समूह 3 के लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है।
5. खेल 1: सभी प्रतिभागियों को कक्ष में पुनः आने के लिए कहें। 2, समूहों को शांत होने के लिए कहें। 3, समूह 2 के प्रतिभागियों को समूह 1 के एक-एक प्रतिभागियों के साथ खड़ा होने के लिए कहें। 4, खेल शुरू होने का संकेत दें।
6. एक या दो मिनट में खेल समाप्त हो जाएगा। सामान्यतः सारे गुब्बारे फोड़ने के लिए एक मिनट पर्याप्त है।

खेल के बाद की चर्चा

1. सभी प्रतिभागियों को एक घेरे में बैठाएं।
2. गुब्बारे वाले प्रतिभागियों से पूछें कि गतिविधि के दौरान उन्होंने कैसा महसूस किया? विचार हो सकते हैं: नहीं जानते थे क्या हो रहा है, घबरा गए थे, हमला होना, हताश, किसी बड़े की सहायता के लिए देखना, बगल में खड़े व्यक्ति पर विश्वास नहीं था आदि।
3. समूह 2 से पूछें— आपने कैसा महसूस किया? विचार हो सकते हैं: हताश हैं क्योंकि नहीं जानते थे कि खेल क्या है, तैयारी करने का समय नहीं मिला, अपने साथी को नहीं बचा पाए क्योंकि ऐसा लगता है कि हमलावरों की कोई योजना थी, शुरू में मैंने सोचा कि मैं सुरक्षा दे सकता हूँ किन्तु सफल नहीं हुए, असल में मुझे यही पता नहीं था कि मुझे क्या करना है।
4. समूह 3 से पूछें— आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? उत्तर हो सकते हैं: बहुत अच्छा, गुब्बारे फोड़ना आसान था, थोड़ी चालाकी की जरूरत थी, नियंत्रण में थे।
5. समूह 4 से पूछें— आप लोगों ने कैसा महसूस किया? उत्तर हो सकते हैं— कुछ करना चाहते थे किन्तु नहीं जानते थे कि क्या करें, असहाय थे, मजा आया।

स्पष्टीकरण: वह चार समूह किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? प्रतिभागियों से अनुमान लगाने के लिए कहें कि वे बताएं ये समूह किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

(क) समूह 1 प्रतिनिधित्व कर रहा था उन बच्चों का जिन्हें संरक्षण की जरूरत है।

(ख) समूह 2 प्रतिनिधित्व कर रहा था उन वयस्कों का जो बच्चों को संरक्षण देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

(ग) समूह 3 प्रतिनिधित्व कर रहा था उन वयस्कों का जिन्हें बच्चों के अधिकार की कोई कद्र नहीं है इसलिए कई तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या वे लोग जिन्हें जानकारी न होने के कारण बच्चों को निरीह और कमजोर बना देते हैं। समूह 3 उन नकारात्मक क्रियाओं का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। यद्यपि समूह या संस्थाएं या व्यक्ति का यह विश्वास हो सकता है कि वे बच्चे की सहायता कर रहे हैं किन्तु बाल अधिकारों, बाल संरक्षण और बच्चों के विकास के बारे में उनकी कम जानकारी, नकारात्मक हरकतों का कारण हो सकती हैं जिससे बच्चों को नुकसान पहुंचता है।


(घ) समूह 4 उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो केवल देखते हैं और करते कुछ नहीं हैं। कुछ करने की चाहत उनमें हो सकती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है या वे यह सोच सकते हैं कि जो हो रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है।

प्रतिभागियों से पूछें कि समूह 3 के लोगों को गुब्बारा फोड़ने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए था?

कुछ संभावित उत्तर:

cPp%

- ◆ उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कुछ में विरोध करने की क्षमता है किन्तु कुछ कमजोर तथा निरीह होते हैं (खेल का संदर्भ दें— कुछ ने अपना बचाव किया किन्तु कुछ तुरन्त पकड़ लिए गए)।
- ◆ कभी—कभी बच्चे दल बना लेते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सभी को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कौशलों की जरूरत होती है किन्तु बच्चे सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।



वयस्क एक संरक्षक के रूप में

- ◆ उन्हें पता होना चाहिए की क्या हो रहा है।
- ◆ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ताकत को एक संगठित दल में बदलकर सुरक्षा देनी चाहिए।
- ◆ जो लोग जानबूझ कर बच्चों के साथ दुर्यवहार करते हैं उनके तरीकों की जानकारी होनी चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि बच्चे क्यों इतने कमजोर तथा निरीह हैं।

दुर्यवहार करने वाले

- ◆ उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि उनका यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।

अंजान और दर्शक

- ◆ उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी इस निष्क्रियता से बच्चे और कमजोर तथा निरीह हो जाएंगे।
- ◆ केवल दर्शक न बने, बल्कि संरक्षण देने में भागीदार बनें।
- ◆ यह जानें कि संरक्षण से जुड़ी समस्याओं की पहचान कैसे करें और उन्हें कब तथा कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

संलग्नक 3: वैयक्तिक देखरेख योजना

प्ररूप- 7

[नियम 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69 I (3)]

वैयक्तिक देखरेख योजना (वै.दे.यो.)

कानून का उल्लंघन करने वाला बालक/देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक
(जो लागू हो उसे सही करें)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का नाम.....

वै.दे.यो. तैयार करने की तारीख.....

20.....का मामला/प्रोफाइल संख्या.....

प्र.सू.रि. संख्या

धारा के अंतर्गत (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में लागू.....

पुलिस स्टेशन.....

बोर्ड अथवा समिति का पता.....

भर्ती संख्या (यदि बालसंस्था में है).....

भर्ती की तारीख (यदि बालसंस्था में है).....

बालक का प्रवास (जैसा लागू हो, भरें)

- I. अल्प कालिक (6 मास तक)
- II. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
- III. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)

क. व्यक्तिगत ब्यौरे (संस्था में बालककी भर्ती पर बालक/माता-पिता/दोनों द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम
2. आयु/जन्म की तारीख.....
3. लिंग: बालक/बालिका.....
4. पिता का नाम :.....
5. माता का नाम :
6. राष्ट्रियता.....
7. धर्म.....
8. जाति.....
9. बोली जाने वाली भाषा.....
10. शिक्षा का स्तर.....
11. बालक के बचत खाते के ब्यौरे, यदि कोई हों
12. बालक की आय तथा समान के ब्यौरे, यदि कोई हों.....
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों के ब्यौरे, यदि कोई हों.....
14. मामला पूर्ववृत्त, सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित चिंता के क्षेत्रों तथा मध्यक्षेपों के ब्यौरे दें:

क्र.सं.	श्रेणी	चिंता के क्षेत्र	प्रस्तावित मध्यक्षेप
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालककी प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		

7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखरेख तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्पूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पखवाड़े में तैयार की जाए तथा तत्पश्चात मास में एक बार तैयार की जाए)

[टिप्पण: प्रगति रिपोर्ट के लिए भिन्न-भिन्न शीट का प्रयोग करें]

1. परिवीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी का नाम.....
2. रिपोर्ट की अवधि.....
3. भर्ती संख्या.....
4. बोर्ड अथवा समिति.....
5. प्रोफाइल संख्या.....
6. बालक का नाम.....
7. बालक के रहने की अवधि (जैसा प्रयोज्य हो, भरे)
 - I. अल्पकालिक (6 मास तक)
 - II. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
 - III. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)
8. साक्षात्कार का स्थान तारीख.....
9. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का साधारण आचरण तथा प्रगति
.....
.....
10. इस प्ररूप के भाग-क के बिंदु 14 में यथाउल्लिखित प्रस्तावित मध्यक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति ।

क्र.सं.	श्रेणी	प्रस्तावित मध्यक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा		
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें		
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें		

4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	स्वयं देखरेख तथा सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण		
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जिसका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ा हो, जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।		

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही।

- I. बंध-पत्र की शर्तों में फेरफार
- II. बालकके निवास में परिवर्तन
- III. अन्य मामले, यदि कोई है

12. पर्यवेक्षण की अवधिको पूरी की गई।

पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी के साथ

माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम तथा पता जिसकी देखरेख में बालक को पर्यवेक्षण समाप्त होने के बाद रहना है

.....

रिपोर्ट की तारीख.....परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर.....

ग. निर्मुक्त होने से पूर्व रिपोर्ट (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)

1. स्थानान्तरण के स्थान के ब्यौरे तथा स्थानान्तरित स्थान निर्मुक्त करने में उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी
2. विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे
3. लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल
4. बालक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग-ख देखें)
5. बालक की पुनर्वास तथा पुन स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र.सं.	श्रेणी	बालक के पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन की योजना
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की प्रत्याशा	
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण जरूरतें	
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायक जरूरतें	
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें	
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल	

6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध	
7.	धार्मिक विश्वास	
8.	सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा तथा गलत बरताव से स्वयं देखरेख तथा संरक्षण के लिए जीवन-कौशल-प्रशिक्षण	
9.	स्वतंत्र आजीविका कौशल	
10.	अन्य कोई	

6. निर्मुक्त होने/स्थानान्तर/संप्रत्यावर्तन की तारीख.....
7. अनुरक्षो की मांग, यदि अपेक्षित हो.....
8. अनुरक्षा की पहचान का प्रमाण – जैसे कि चालन अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड आदि.....
9. संभव नियोजन/प्रयोज्यता सहित अनुशंसित पुनर्वास योजना
10. रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परिवीक्षा अधिकारी/गैर-सरकारी संगठन के ब्यौरे-
.....
11. रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाए)
.....
12. प्रायोज्यता अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
13. प्रायोज्यता अभिकरण तथा वैयक्तिक प्रायोजक के बीच समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाएं).....
14. निर्मुक्ति से पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट
15. अन्य कोई जानकारी.....

घ. बालक की निर्मुक्ति पश्च /पुन स्थापन रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद/ अंतरित
2. बालक की आय तथा माल-असबाब : बालक को अथवा उसके माता-पिता/संरक्षक को सौंपा गया
माता-पता/संरक्षक- हां/नहीं
3. परिवीक्षा अधिकारी बालक की रिहाई-पश्च अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए बालकल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर-सरकारी संगठन की प्रथम बातचीत की रिपोर्ट
4. पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना के संदर्भ में की गई प्रगति.....
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार/अभिवृत्ति.....
6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पड़ोसियों/समाज का रूख.....
7. बालक अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार कर रहा है.....
8. क्या बालक को एक स्कूल अथवा किसी व्यवसाय में दाखिल किया गया है? स्कूल/संस्थान/अन्य किसी अभिकरण का नाम तथा तारीख दें
.....हां/नहीं
9. क्रमशः दो मास तथा छह मास के बाद बालक के साथ बातचीत पर दूसरी तथा तीसरी अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट
.....

10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास/इसके बारे में बालककी राय/विचार

11. पहचान पत्र तथा प्रतिकर

[अनुदेश : कृपया वास्तविक दस्तावेजों के साथ सत्यापन करें]

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी.पी.एल. कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र			
प्रतिरक्षण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्रतिकर प्राप्त हुआ			

परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो

संलग्नक 4: वर्ष 2017-18 में समेकित बाल संरक्षण योजना के लाभार्थी

वर्ष 2017-18 का विवरण (5 फरवरी 2018 तक)													
क्र.सं.	राज्य	संस्थागत देखरेख (गृह)		खुले आवास		विशेष दत्तक-ग्रहण एजेंसी		बाल कल्याण समिति	किशोर न्याय बोर्ड	राज्य बाल संरक्षण समिति	जिला बाल संरक्षण इकाई	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी	कुल लाभार्थी
		कितने को सहायता दी	लाभार्थी	कितने को सहायता दी	लाभार्थी	कितने को सहायता दी	लाभार्थी						
1	आंध्र प्रदेश	73	4439	12	300	14	135	13	13	1	13	1	4874
2	अरुणाचल प्रदेश	15	62	0	0	1	3	21	21	1	20	1	65
3	आसाम	36	1128	3	75	14	78	27	27	1	27	1	1281
4	बिहार	54	1929	14	216	28	170	38	38	1	38	1	2315
5	छत्तीसगढ़	76	2172	19	127	14	42	27	27	1	27	1	2341
6	गोवा	21	1015	8	200	2	46	2	2	1	2	1	1261
7	गुजरात	54	2166	3	75	14	163	33	33	1	33	1	2404
8	हरियाणा	33	1630	25	1541	7	48	21	21	1	21	1	3219
9	हिमाचल प्रदेश	30	1187	3	44	1	6	12	12	1	12	1	1237
10	जम्मू और कश्मीर	22	1141	0	0	2	20	22	22	1	22	1	1161
11	झारखण्ड	36	1448	5	125	15	217	24	24	1	24	1	1790
12	कर्नाटक	80	3131	40	1194	28	255	33	30	1	30	1	4580
13	केरल	31	708	4	103	17	95	14	14	1	14	1	906
14	मध्य प्रदेश	61	2249	6	206	22	213	51	51	1	51	1	2668
15	महाराष्ट्र	77	6155	3	108	17	181	39	36	1	36	1	6444
16	मणिपुर	34	993	12	247	5	35	9	9	1	9	1	1275
17	मेघालय	54	1351	4	181	6	7	11	11	1	11	1	1539
18	मिज़ोरम	45	1300	0	0	7	51	8	8	1	8	1	1351
19	नागालैण्ड	41	495	3	37	4	7	11	11	1	11	1	539
20	ओडिशा	110	7233	13	341	17	217	31	34	1	30	1	7791

वर्ष 2017-18 का विवरण (6 फरवरी 2018 तक)													
क्र.सं.	राज्य	संस्थागत देखरेख (गृह)		खुले आवास		विशेष दत्तक-ग्रहण एजेंसी		बाल कल्याण समिति	किशोर न्याय बोर्ड	राज्य बाल संरक्षण समिति	जिला बाल संरक्षण इकाई	राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी	कुल लाभार्थी
		कितने को सहायता दी	लाभार्थी	कितने को सहायता दी	लाभार्थी	कितने को सहायता दी	लाभार्थी						
21	पंजाब	17	511	1	25	5	107	22	22	1	20	1	643
22	राजस्थान	91	2883	23	405	12	40	33	34	1	33	1	3328
23	सिक्किम	18	540	4	52	4	6	4	4	1	4	1	598
24	तमिलनाडु	193	14055	14	350	15	150	32	32	1	32	1	14555
25	त्रिपुरा	20	500	2	52	6	48	4	8	1	8	1	600
26	उत्तर प्रदेश	81	2497	22	550	17	170	75	75	1	75	1	3217
27	उत्तराखण्ड	20	318	2	36	0	0	13	13	1	13	1	354
28	पश्चिम बंगाल	66	5890	33	850	22	273	25	23	1	23	1	7013
29	तेलंगाना	56	3014	12	246	11	309	31	31	1	31	1	3569
30	अंडमान और निकोबार	8	367	.	0	.	0	3	3	1	3	0	367
31	चंडीगढ़	8	326	0	0	4	17	1	1	1	1	1	343
32	दादरा और नगर हवेली	.	0	.	0	.	0	1	1	1	1	1	0
33	दमन और दीव	2	100	.	0	.	0	2	2	1	2	1	100
34	लक्षद्वीप	.	0	.	0	.	0	1	1	.	.	.	0
35	दिल्ली	28	1479	13	415	3	60	10	3	1	10	1	1954
36	पुडुचेरी	29	1166	2	47	2	13	3	4	1	2	1	1226
	कुल	1620	75578	305	8148	336	3182	707	701	35	697	34	86908

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित फ्लो चार्ट

बच्चे द्वारा अपराध किया गया

कानून का उल्लंघन करने के कारण बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लिया और विशेष किशोर पुलिस इकाई/ बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी के पास जाए – एस 10

पुलिस द्वारा मुक्त किया गया – एस 12 (1)

किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने तक के लिए अवलोकन गृह में रखा – एस 12 (2)

हिरासत में लेने के 24 घंटे के अन्दर बोर्ड के एकल सदस्य [एस 7 (एस)]/बोर्ड [एस 10 (1)] के समक्ष प्रस्तुत किया

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा युक्त – एस 12 (1)

अवलोकन गृह – एस 12 (1)

सुरक्षा का स्थान (विचाराधीन जांच)

- कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा 18 वर्ष से ऊपर – एस 6 (2)
- कोई भी कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा जो जमानत पर रिहा नहीं हुआ – एस 12 (3)
- 16-18 वर्ष का बच्चा जो जघन्य अपराध के लिए आरोपित है – एस 49 (1)
- ऐसा व्यक्ति जिसके बच्चा होने का दावा किसी भी कोर्ट में विचाराधीन है और जिसे सुरक्षात्मक हिरासत की जरूरत है – एस 9 (4)

संरक्षण अधिकारी/उपयुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में युक्त किया – एस 12 (1)

जमानत – एस 12 (1)

जमानत न देने का कारण – एस 12 (1) प्रावधान: रिहा करने पर बच्चे के जाने माने अपराधियों की संगत मिलेगी, बच्चे का, नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरों से सामना होगा, न्याय नहीं हो पाएगा (लिखित में मनाही के कारण)

पहले प्रस्तुत की गई तारीख से 4 माह के अन्दर जांच पूरी की जानी चाहिए (अधिकतम 6 माह किन्तु लिखित कारणों के साथ – एस 14 (2))

उम्र की जांच (चिकित्सीय जांच की स्थिति में 15 दिनों के अन्दर) – एस 94

सामाजिक जांच रिपोर्ट-संरचना अधिकारी के द्वारा, पहली बार बच्चे के उपस्थित होने के 15 दिन के अन्दर – एस (8)(ब)/कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में पुलिस से सूचना मिलने के 2 सप्ताह के अन्दर – एस 13 (1)(ii)

पहली बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर बोर्ड की प्रारंभिक जांच पूरी हो जानी चाहिए (16 से 18 वर्ष के बच्चे द्वारा जघन्य अपराध की स्थिति में – एस 14 (3) और एस 15 (1))

बाल न्यायालय में स्थानान्तरण – एस 18 (3)

किशोर न्याय बोर्ड में जांच जारी – एस 15 (2)

एस 17 और 18 के अनुसार निस्तारण

बाल न्यायालय द्वारा सुनवाई

छोटा अपराध -
एस 2 (45)

अधिकतम 3 वर्ष की सजा

गंभीर अपराध -
एस 2 (54)

3 से 7 वर्ष के बीच की सजा

जघन्य अपराध -
एस 2 (55)

कम से कम अनिवार्य सजा
7 वर्ष या उससे अधिक

16 वर्ष से कम

16 वर्ष के ऊपर

बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत होने के चार माह के अन्दर जांच पूरी हो जानी चाहिए (अधिकतम 6 माह जब लिखित में दिए जाएं - एस 14 (2))

छोटे अपराध के मामले में अगर जांच छः माह से पूरी नहीं हो पाती तो कार्यवाही बर्खास्त हो जाएगी - 14 (4)

जांच की अवधि बढ़ाई जा सकती है किन्तु इसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी - एस 14 (4)

बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर प्रारम्भिक जांच पूरी - एस 14 (3) और 15

जांच जारी रखें - एस 15 (2)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को माना जाए और बाल न्यायालय में स्थानान्तरण - एस 18 (3)

शारीरिक क्षमता

मानसिक क्षमता

अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता

अपराध के समय की परिस्थिति

बाल न्यायालय द्वारा परीक्षण

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किए गए प्रारम्भिक आंकलन रिपोर्ट का परीक्षण करना ताकि यह निर्णय किया जा सके कि आगे कैसे बढ़ना है - एस 19 (1) (1)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को बच्चा मानकर ही सुनवाई की जाए (किशोर न्याय बोर्ड की निर्धारित पद्धति) - एस 19 (1) (ii)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की सुनवाई वयस्क की तरह की जाए (CrPC के अंतर्गत और आदेश) - एस 19 (1) (ii)

पहली उपस्थिति के चार माह के अन्दर जांच पूरी की जानी चाहिए (अधिकतम 6 माह किन्तु लिखित कारणों के साथ) - एस 14 (2)

जांच पूरी करने के लिए समय वृद्धि की जा सकती है किन्तु इसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी - एस 14 (4)

सुनवाई को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

- मृत्यु की सजा नहीं
- आजीवन कारावास नहीं- मुक्त होने की संभावना के बिना

निस्तारण / अन्तिम आदेश:

- सजा-वयस्कों के समान - एस 19 (1) (i)
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को 21 वर्ष की उम्र पूरी होने तक 'सुरक्षा के स्थान' में भेजने का आदेश - एस 19 (3)

व्यक्तिगत देखरेख योजना अवश्य शामिल हो - एस 19 (2)

संरक्षण अधिकारी / जिला बाल संरक्षण इकाई / सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक फॉलोअप - एस 19 (2) और 19 (4)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को सशर्त रिहा करें। जिसमें अनुश्रवण भी शामिल हो - एस 20 (2) (i)

शेष अवधि जेल में बिताने के लिए आदेश - एस 20 (2) (ii)

21 वर्ष पूरे होने पर कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे में सुधार का आंकलन किया जाए - एस 20 (1)

बाल कल्याण समिति द्वारा जांच

जांच की शुरुआत से की जाएगी

बच्चे को प्रस्तुत करना – एस 31 और 36 (1)

बच्चे के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करना – एस 31 (2) और 36 (1)

स्वयं मामले का संज्ञान लेना – एस 36 (1)

जांच का उद्देश्य

बच्चे की देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद घोषित करना – एस 37 (1)

उपयुक्त व्यक्ति घोषित करना – एस 30 (iv)

त्याग का इकरारनामा तैयार करने के लिए छानबीन – एस 35 (2)

दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना – एस 30 (xi)

देखरेख, संरक्षण, उपयुक्त पुनर्वास और एकीकरण

बच्चे की खुशहाली और सुरक्षा – एस 30 (ii)

बाल देखरेख संस्थानों में दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर – एस 30 (xvi)

विशेष दत्तक-ग्रहण एजेंसी में भेजें अगर

- बच्चा छः माह से कम उम्र का है और
- अनाथ है/त्याग दिया गया है/परित्यक्त प्रतीत होता है – एस 36 (1)

बाल गृह/उपयुक्त/उपयुक्त सुविधा/व्यक्ति के पास भेजें अगर बच्चा छः वर्ष से कम उम्र का है – एस 36 (1)

विचाराधीन जांच

सामाजिक कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/बाल कल्याण परिवीक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करना – एस 36 (2)

- बच्चे को उस संस्थान से हटाकर दूसरे बाल देखरेख संस्थान में स्थानान्तरित करें
- पुलिस/जिला बाल संरक्षण इकाई/श्रम विभाग/चाइल्ड लाइने का आवश्यक निर्देश दें

जांच पूरी करने की समयवधि

परित्यक्त बच्चे

दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए प्रस्तुत करने के दिन से दो माह तथा दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को प्रस्तुत करने के दिन से चार माह

त्यागे गए बच्चे प्रस्तुत किए जाने के दो माह तक (पुनः विचार करने का समय)

अन्य देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे प्रस्तुत किए जाने के चार माह के अंदर

